न्यायालय :– राजू पन्द्रे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव, जिला देवास म.प्र.

Reg. No. SCM 447/2022
Filling No. SCM 1553/2022
CNR No. MP41050017352022
Filling date 12.10.22

:: निर्णय ::

(दिनांक 12-10-22 को घोषित)

01. आरोपी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उसने उक्त अपराध करना स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया। आरोपी को अभिवाक् अंकित किया गया।

02. आरोपी द्वारा की गई स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में *न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा एवं* 500/–/– *अंकन* पांच सौ *रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया* जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर आरोपी को उक्त अपराध में 07 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

03. प्रकरण में जप्तशुदा 5 लीटर कच्ची शराब अपीलावधि पश्चात् अपील ना होने की दशा में नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(राजू पन्द्रे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खातेगांव, जिला देवास (म0प्र0)

(राजू पन्द्रे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खातेगांव, जिला देवास (म0प्र0)

Scanned with CamScanner

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In The Court Of राजू कन्नौजे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव, जिला देवास म.प्र

Case Sum No- 447 Of 2022 Complaint Or Report Made On ____
Name and address of the complaint म0प्र0 शासन द्वारा आबकारी / थाना नेमावर

Name, parentage, case and address of accused

नाम :- सचिन

पिता का नाम :- रामविलास

उम्र :- 33 साल

निवासी :- वार्ड क्र-02 नेमावर

The offense complained of and date of its alleged commission

1. आपने दिनांक 09/10/22 को समय 17:00 बजे स्थान रेस्ट हाउस चौराहा नेमावर पर बिना अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में पांच लीटर देशी कच्ची शराब भट्टी की अवैध रूप से रखे पाए गए। आपका यह कृत्य धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के अधीन दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आप अपना अपराध स्वीकार करते हो या विचारण चाहते हो ?

स्वीकार

राजू कन्नौजे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव, जिला देवास म.प्र

The plea of the accused and his examination (if any)

आरोपी का अभिवाक:-

राजू कन्नौजे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव, जिला देवास म.प्र

The offence proved if any, and in cases under clause,(d) clause (e) clause (f) or clause(g), of Sub-section (i) of Section 260 The value Of the property in respect of which the offence has been committed.

Scanned with CamScanner